

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर

क्रमांक - रोडर/19/ 191

दिनांक 28/8/19

-: आदेश :-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक राजस्व(मुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र पत्रांक प.3 राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसार चालू स्थाई रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही की जानी है।

उक्त रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 53,59,60,66 एवं 86 के अनुसार तहसीलदार मसूदा द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व अनुशंषा अनुसार भूमि नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में गै.मु. रास्ता एवं नक्शे में लाल स्याही से अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मसूदा उक्त आदेश के अनुसार पालना सुनिश्चित कर 15 दिवस में मय रेकार्ड की प्रति सहित पालना प्रेषित करे।

पटवार मण्डल :- कानाखेड़ा

तहसील :- मसूदा

क्र. सं.	पोर्टल क्रमांक	तहसीलदार मसूदा के पत्रांक नम्बर मय दिनांक	वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि				नवीन(रास्ता हेतु) प्रविष्टि		
			ग्राम का नाम	खसरा न.	कुल रकबा (बीघा)	किस्म जमीन	खसरा न.	रकबा(बीघा)	किस्म जमीन
1	2019/00210	3365 15.07. 2019	गोपालसागर	3824/3656	241-15-00	गै.मु. चट्टान	3824/3656/1	01-03-00	गै.मु. रास्ता
2	2019/00211	3366 15.07. 2019	कानाखेड़ा	1024/2	38-12-00	गै.मु.	1024/3	00-14-00	गै.मु. रास्ता
3	2019/00212	3367 15.07. 2019	गोपालसागर	3824/3656	241-15-00	गै.मु. चट्टान	3824/3656/2	01-10-00	गै.मु. रास्ता
4	2019/00213	3368 15.07. 2019	गोपालसागर	2550	04-01-00	बा.3	2550/1	00-13-10	गै.मु. रास्ता

नोट:- अवशेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.एम.)मसूदा (अजमेर)

